<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री श्री राधा राधा, 23, चाण्क्यपुरी, श्याम नगर, कानपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**045 / 13, 24.09.2013**
प्रार्थी की ओर से	**श्री सचिन माहेश्वरी, अधिकृत प्रतिनिधि।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

सर्वश्री श्री राधा राधा, 23, चाण्क्यपुरी, श्याम नगर, कानपुर द्वारा दिनांक 24.09.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा मिश्री, इलायची दाना, बतासा एवं गट्टा पर कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री सचिन माहेश्वरी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-द्वितीय, कानपुर के पत्र संख्या-1228, दिनांक 23.10.2013 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि मिश्री, इलायची दाना, बतासा एवं गट्टा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-28 पर निम्न प्रकार अंकित है :-

Prasad, bhog or mahabhog, panchamrit, misri, batasa, vibhuti sold by religious institutions; Batasha,illaichidana,gatta,kampat; Charas;bura

उक्त प्रविष्टि के अनुसार इलायची दाना, बतासा एवं गट्टा बिना किसी शर्त के करमुक्त है जबकि मिश्री केवल धार्मिक संस्थाओं द्वारा बेचे जाने पर करमुक्त है और अन्य के द्वारा बेचे जाने पर मिश्री उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की किसी शिड्यूल में वर्गीकृत न होने के कारण, अवर्गीकृत वस्तु की भाँति उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत 12.5% की दर से करदेय है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि मिश्री एक तरह का शुगर प्रोडक्ट है। NIIR PROJECT CONSULTANCY SERVICES की बेवसाइट में मिश्री के निर्माण की प्रक्रिया अंकित है। इस प्रक्रिया के अनुसार supersaturated sugar solutions को ठण्डा करके मिश्री का निर्माण किया जाता है। Wikipedia में दी गयी परिभाषा के अनुसार भी मिश्री का तात्पर्य Crystallized sugar lump है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-137 पर निम्न प्रविष्टि अंकित है :-

Sweetmeat, namkeen and sugar products, Kuliya, rewari and gazak

मिश्री एक प्रकार का शुगर प्रोडक्ट है। अतः उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करयोग्य होंनी चाहिए। अन्य वस्तुएं-इलायची दाना, बतासा एवं गट्टा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-28 की प्रविष्टि के अन्तर्गत करमुक्त हैं।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-द्वितीय, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि इलायची दाना, बतासा एवं गट्टा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-28

....2

की प्रविष्टि के अन्तर्गत करमुक्त है, किन्तु मिश्री केवल धार्मिक संस्थाओं द्वारा बेचे जाने पर ही करमुक्त है अन्यथा स्थिति में मिश्री एक शुगर प्रोडक्ट होने के कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-137 पर अंकित प्रविष्टि के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करयोग्य होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 20, दिसम्बर, 2013

ह0/ 20-12-2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।